भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 315
दिनांक 10.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

रासायनिक कारखानों से निकलने वाला विषैला अपशिष्ट

***315: श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) तेलंगाना के रासायनिक और औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न किए जाने वाले नियमित और विषैले अपशिष्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन कंपनियों के द्वारा विषैले अपशिष्ट के निपटान के लिए विहित प्रणाली के अनुपालन की नियमित जांच करने के लिए कोई नवाचार स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जो विषैले अपशिष्ट के निपटान की विहित प्रविधि का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"रासायनिक कारखानों से निकलने वाला विषाक्त अपशिष्ट" के संबंध में 10 अगस्त, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 315 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) : तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान 8,21,229 टन की अधिकृत क्षमता के मुकाबले लगभग 3,17,091 टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। तेलंगाना राज्य में 651 रासायनिक और फार्मा उद्योग स्थित हैं। वे मुख्य रूप से शहरों में और उनके आसपास जैसे कि, रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी, संगारेड्डी, मेडक और यादाद्री भुवनगिरी जिले में जीदीमेटला, कुकटपल्ली, बालानगर, सनथनगर, नचाराम, चेरलापल्ली, मौलाली, उप्पल, आईडीए बोलाराम, बचुपल्ली, खज़ीपल्ली, गड्डापोथरम, बोंथापल्ली, पाशमैलारम, पाटनचेरु, चौतुप्पल, पोचमपल्ली, दोथिगुडेम आदि में स्थित है। ये रासायनिक, अनुसंधान एवं विकास और फार्मास्युटिकल उद्योग खतरनाक अपशिष्ट, जैसे प्रोसेस संबंधी अकार्बनिक साल्ट्स, प्रोसेस संबंधी कार्बनिक अवशेष, अपशिष्ट उपचार संयंत्र का कचड़ा और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) और एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर (एटीएफडी) जैसी उपचार प्रणाली से उत्पन्न साल्ट्स पैदा करते हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में उद्योगों से उत्पन्न और निस्तारित खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा इस प्रकार है:

पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट (टन प्रति वर्ष)	77057.16
भस्मीकरण योग्य अपशिष्ट (टन प्रति वर्ष)	92578.23
लैंडफिल योग्य अपशिष्ट (टन प्रति वर्ष)	105412.5
कुल:	**275047.9**

(ख) से (घ) : भारत सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर्यावरण-अनुकूल तरीके से खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसके बाद एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है।

रासायनिक निर्माण उद्योग जैसे कीटनाशक, फार्मास्युटिकल, पेट्रोकेमिकल, डाई और डाई इंटरमीडिएट, उर्वरक, रिफाइनरी, कार्बनिक रसायन, पेंट उद्योग आदि से उत्पन्न अपशिष्ट को विषाक्त लक्षणों के आधार पर खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के कचरे को एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 की अनुसूची-। में सूचीबद्ध किया गया है।

वे कंपनियां जो खतरनाक कचरे के हैंडलिंग, उत्पादन, संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, उपचार, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, रिकवरी, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, बिक्री की पेशकश, हस्तांतरण

या निपटान के कार्य में शामिल हैं, उनसे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से प्राधिकरण प्राप्त करने के पश्चात और उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही ऐसे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए, अनुक्रम के चरणों का निम्नानुसार मुख्य रूप से पालन किया जाएगा, जैसे 1. रोकथाम; 2. न्यूनीकरण; 3. पुन: उपयोग, 4. पुनर्चक्रण; 5. रिकवरी, 6. सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और 7. भस्मीकरण या सुरक्षित लैंडफिलिंग के माध्यम से सुरक्षित निपटान।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने खतरनाक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। सीपीसीबी ने खतरनाक कचरे की विभिन्न श्रेणियों के उपयोग के लिए 68 मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं और सभी एसपीसीबी/पीसीसी को परिचालित की हैं। सभी दिशानिर्देश और एसओपी सीपीसीबी की वेबसाइट पर क्रमशः https://cpcb.nic.in/technical-guidelines/ और https://cpcb.nic.in/sop-for-hw-specific/ पर उपलब्ध हैं।

तेलंगाना एसपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह उद्योगों से खतरनाक कचरे के उत्पादन को नियंत्रित कर रहा है और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए शर्तें निर्धारित कर रहा है। सहमति की शर्तों और खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित प्राधिकरण शर्तों के अनुपालन की जांच करने के लिए टीएसपीसीबी सभी फार्मा और रासायनिक उद्योगों की त्रैमासिक आधार पर जांच प्रोटोकॉल के अनुसार निगरानी कर रहा है।

(ड.) और (च) : एसपीसीबी/पीसीसी नियमों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्राधिकारी हैं, जिसमें उनके कार्य में विभिन्न प्रावधानों, प्राधिकरण की शर्तों के अनुपालन की निगरानी और एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 21 और अनुसूची-VII के अनुसार, उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। इसके अलावा, सीपीसीबी एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुपालन की जांच के लिए कुछ इकाइयों का औचक निरीक्षण भी करता है। पिछले 3 वर्षों में किए गए निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

टीएसपीसीबी द्वारा नियमों व शर्तों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों की समीक्षा की जाती है और चूक करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसमें 26 उद्योगों को बंद करना और 276 उद्योगों को निर्देश देना शामिल हैं।

****

अनुबंध-I

सीपीसीबी द्वारा किए गए निरीक्षण और की गई कार्रवाई

क्र.सं.	निरीक्षण की गई इकाइयों का नाम और संख्या (निरीक्षण की तिथि)	मामला (शिकायत/कोर्ट केस)	संयुक्त टीम/समिति	मुद्दे और की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
1.	59 इंडक्शन भट्टियां 44 रोलिंग मिल्स, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब (21.02.2020 से 02.03.2020 तक पहले निरीक्षण और 16.03.2020 से 20.03.2020 तक दूसरे निरीक्षण के दौरान)	एनजीटी मामला (प्रिंसिपल बेंच) ओ.ए. सं. 924/2019	पीपीसीबी, नगर परिषद, मंडी गोबिंदगढ़	सीपीसीबी ने पाया कि कई इकाइयों ने डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया है, खतरनाक कचरे, स्टैक का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है और वायु/जल अधिनियम के तहत वैध सहमति और/या एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण के बिना काम कर रही थी और इसलिए, पीपीसीबी को उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की।	इसलिए पीपीसीबी ने 50 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बड़े उल्लंघन वाली 18 इकाइयां हैं, 16 इकाइयों पर 22 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और 2 इकाइयों पर 2.50 लाख रुपए की बैंक गारंटी राशि का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई ओ.ए. सं. 924/2019; नीरज गोयल बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय एनजीटी के दिनांक 01.10.2020 के आदेश में रिकार्ड की गई है।
2.	तेल रिफाइनरी-आईओसीएल पानीपत (18.08.2020), एचपीसीएल भटिंडा (22.08.2020)	एनजीटी मामला (प्रिंसिपल बेंच) ओ.ए. सं. 67/2020	डब्ल्यूबीपीसीबी पीपीसीबी एपीसीबी एचएसपीसीबी डीपीसीसी	समिति ने एचओडब्ल्यूएम नियमों और प्राधिकरण शर्तों के उल्लंघन को देखा और पीपीसीबी, डब्ल्यूबीपीसीबी, सीईसीबी और एचएसपीसीबी को चूककर्ता इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा (ईसी) और वित्तीय दंड (एफपी) लगाने की सिफारिश की।	पीपीसीबी, डब्ल्यूबीपीसीबी, सीईसीबी और एचएसपीसीबी ने चूककर्ता इकाइयों पर तदनुसार ईसी और एफपी लगाये।
3.	स्पेंट कैटालिस्ट रिसाइकलर- गणेश स्टील एंड अलॉयज, कोलकाता (12.08.2020), लखदाता पेट्रोकेम बठिंडा (21.08.2020),				

क्र.सं.	निरीक्षण की गई इकाइयों का नाम और संख्या (निरीक्षण की तिथि)	मामला (शिकायत/कोर्ट केस)	संयुक्त टीम/समिति	मुद्दे और की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
	छत्तीसगढ़ में रीफ़्राकास्ट, रेफ़मेट, अर्थ मेटलर्जिकल, अष्टधातु (दिसंबर 17.18.2020)				
4.	मैसर्स मलाणा सिल्वर नाइट्रेट रीसाइक्लिंग, संगरूर, पंजाब (22.04.2019)	एनजीटी मामला ओ.ए. सं. 394/2019	पीपीसीबी डीपीसीसी	एचओडब्ल्यूएम के साथ-साथ पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 का उल्लंघन।	खतरनाक कचरे के भंडारण, लेबलिंग और विश्लेषण करने संबंधी अनुशंसा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय एनजीटी को प्रस्तुत की गई। अनुशंसा के अनुपालन का निर्देश देते हुए मामला निपटाया गया।
5.	मेसर्स विशाखा सॉल्वेंट्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम। (14.08.2020)	एनजीटी मामला ओ.ए. सं. 134/2020	एपीपीसीबी आंध्र विश्वविद्यालय	मैसर्स विशाखा सॉल्वेंट्स लिमिटेड की सॉल्वेंट रिकवरी यूनिट में दुर्घटना के कारण भीषण आग। एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उल्लंघन के लिए संयुक्त रूप से मैसर्स रामकी फार्मासिटी और मेसर्स विशाखा सॉल्वैंट्स पर 30,01,092 रुपए का ईसी लगाया गया।	दोनों इकाइयों द्वारा दिनांक 08.06.2021 को ईसी जमा किया गया। समिति की अनुशंसाओं का निर्देश देते हुए मामला निपटाया गया।
6.	इको अर्थ इंडस्ट्रीज, रायपुर, छत्तीसगढ़ (23.11.2020)	लोक शिकायतें	सीईसीबी	एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उल्लंघन की सूचना दी गई और वित्तीय दंड (एफपी) लगाने के लिए सीईसीबी को अनुमति दी गई।	सीईसीबी ने एफपी जमा करने के लिए इकाई को अंतिम निर्देश जारी किया।

क्र.सं.	निरीक्षण की गई इकाइयों का नाम और संख्या (निरीक्षण की तिथि)	मामला (शिकायत/कोर्ट केस)	संयुक्त टीम/समिति	मुद्दे और की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
7.	मेसर्स ग्रीनमैक इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ (24.04.2019 और 28.04.2019)	लोक शिकायतें	सीईसीबी	एसपीएल और एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उपयोग के लिए एसओपी की शर्तों का उल्लंघन। इकाई को कारण बताओ नोटिस (02.08.2019) जारी किया गया और 07.10.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई और निर्णय लिया गया कि इकाई 28,80,000 रुपए का ईसी जमा करेगी।	इकाई ने सीपीसीबी के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 27.12.2019 को राशि सीपीसीबी ईसी खाते में जमा कर दी। सीईसीबी ने दिनांक 11.03.2020 के पत्र माध्यम से इकाई की अनुपालन स्थिति प्रस्तुत की और इकाई के सामान्य परिचालन के लिए सिफारिश की।
8.	मेसर्स कृष्णा कैल्सीनेशन एंड रेफ्रेक्ट्रीज, कटनी, एमपी (28.10.2018)	लोक शिकायतें		एसपीएल और एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उपयोग के लिए एसओपी की शर्तों का उल्लंघन। सीपीसीबी ने मध्य प्रदेश पीसीबी को निर्देश जारी किया कि जब तक इकाई अनुपालन हेतु अन्य निर्देशों के अलावा सीपीसीबी के एसओपी के अनुसार सुविधा को अपग्रेड नहीं करती है, तब तक यूनिट को औद्योगिक प्रचालनों की अनुमति नहीं दी जाए।	एमपीपीसीबी ने इकाई द्वारा किए गए उन्नयन और इकाई द्वारा की गई अपील के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर इकाई को उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द कर दिया।